अनुदान संख्या 50 – चंडीगढ़
GRANT No. 50 - CHANDIGARH

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*			*35,05,00*	*32,80,67*	*-2,24,33*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*2,15,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3802,35,00				
				3865,14,00	3802,85,42	-62,28,58
पूरक	Supplementary	62,79,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					62,20,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
मूल	*Original*	*142,15,00*				
				459,73,00	*459,73,00*	..
पूरक	*Supplementary*	*317,58,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	332,85,00				
				332,96,00	332,84,74	-11,26
पूरक	Supplementary	11,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2014”	Major Head “2014”				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	*O.*	*3095.00*	*2979.00*	*2969.68*	*-9.32*
पु.	*R.*	*-116.00*			

(I) “उच्च न्यायालय – स्थापना” के अंतर्गत ₹ *122.24 लाख* की बचत (₹ *2974.90 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under “High Courts - Establishment” - saving of ₹ *122.24 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹ *2974.90 lakhs*) was due to non-filling up of posts of Hon’ble Judges of High Court.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹ *99.01 लाख* की बचत हुई, जो स्वीकृत *विनियोग* का 25 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹ *99.01 lakhs* occurred constituting 25 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹6228.58 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त की गई ₹6279.00 लाख की पूरक अनुदानों का 99 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹6228.58 lakhs) constituted 99 percent of the supplementary grants of ₹6279.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	28404.00			
पू.	S.	1.00	28984.34	28982.89	-1.45
पु.	R.	579.34			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
निर्वाचन	Elections				
मू.	O.	600.00	218.00	217.99	-0.01
पु.	R.	-382.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	46252.00	42691.42	42691.47	+0.05
पु.	R.	-3560.58			
मुख्य शीर्ष "2056"	Major Head "2056"				
जेलें	Jails				
मू.	O.	1885.00	1705.47	1705.42	-0.05
पु.	R.	-179.53			
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"				
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	2596.00	2804.03	2803.95	-0.08
पु.	R.	208.03			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	13859.00	13245.68	13245.10	-0.58
पु.	R.	-613.32			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	5402.00	11651.96	11651.78	-0.18
पू.	S.	6277.00			
पु.	R.	-27.04			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	59130.00	56245.04	56244.02	-1.02
पु.	R.	-2884.96			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	8085.00	7682.99	7682.33	-0.66
पु.	R.	-402.01			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	35605.00	36638.69	36638.31	-0.38
पु.	R.	1033.69			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2215"	Major Head "2215"				
जल आपूर्ति और स्वच्छता	Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	5490.00	5593.95	5593.79	-0.16
पु.	R.	103.95			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	5064.00	5435.13	5433.79	-1.34
पु.	R.	371.13			
मुख्य शीर्ष "2236"	Major Head "2236"				
पोषण	Nutrition				
मू.	O.	771.00	576.00	576.00	..
पु.	R.	-195.00			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	20806.00	21732.04	21731.88	-0.16
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	925.04			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	825.00	605.94	605.78	-0.16
पु.	R.	-219.06			

(I) ₹354.20 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹296.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2236" – "खाद्य पोषणों और पेय का वितरण – विशेष पोषण कार्यक्रम – अधिप्राप्ति और वितरण" – ₹185.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम – अन्य मदें" – ₹111.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को लागू न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2014" – "सिविल और सत्र न्यायालय – स्थापना" के अंतर्गत ₹809.90 लाख की बचत (₹3407.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय न्यायधीशों के रिक्त पदों को न भरे जाने तथा छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2015" – "पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजन के लिए प्रभार – नगर निगमों के चुनाव" के अंतर्गत ₹382.01 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नगर निगम और ग्राम पंचायत चुनावों को न कराए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – आपराधिक अन्वेषण विभाग" – ₹232.53 लाख की बचत (₹3414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "जिला पुलिस – चंडीगढ़" – ₹2962.50 लाख की बचत (₹36228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(I) Provision of ₹354.20 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹296.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2236" - "Distribution of Nutritious Food and Beverages - Special Nutrition Programmes - Procurement and Distribution" - ₹185.00 lakhs; and

(B) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Other Items" - ₹111.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the schemes.

(II) Under Major Head "2014" - "Civil and Sessions Courts - Establishment" - saving of ₹809.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3407.00 lakhs) was due to non-filling up of posts of Hon'ble Judges and non-implementation of 6th Punjab Pay Commission.

(III) Under Major Head "2015" - "Charges for conduct of election to Panchayats/local bodies - Election for Municipalities" - saving of ₹382.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-holding of elections of municipalities and Gram Panchayats.

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Criminal Investigation and Vigilance - Criminal Investigation Department" - saving of ₹232.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3414.00 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administrations.

(B) "District Police - Chandigarh" - saving of ₹2962.50 lakhs (against the sanctioned provision of

फिंगर प्रिंट ब्यूरो से संबंधित स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – भारतीय रिजर्व बटालियन" – ₹309.95 लाख की बचत (₹5636.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू न किए जाने, कम वर्दियों, शस्त्रास्त्र तथा एम्युनिशन की खरीद और पुलिस विभाग द्वारा कम प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2056" – "निदेशन और प्रशासन – जेल स्थापना" – के अंतर्गत ₹179.58 लाख की बचत (₹1885.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VI) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "अधिशासी स्थापना" ₹112.42 लाख की बचत (₹3508.08 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "मुख्य वास्तुशिल्प स्थापना" – ₹120.85 लाख की बचत (₹705.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "अनुरक्षण तथा मरम्मत – भवनों की मरम्मत और अनुरक्षण" – ₹469.65 लाख की बचत (₹3365.45 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मरम्मत और अनुरक्षण के कम दावे प्राप्त होने तथा दैनिक मजदूरों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

₹36228.00 lakhs) was due to non-finalization of scheme relating to finger print bureau and non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(C) "Modernization of Police Force - Indian Reserve Battalion" - saving of ₹309.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5636.00 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration, purchase of less uniforms, arms and ammunition and organizing of less training by police department.

(V) Under Major Head "2056" - "Direction and Administration - Jail Establishment" - saving of ₹179.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1885.00 lakhs);

(VI) Under Major Head "2059" - "General" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Executive Establishment" - saving of ₹112.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3508.08 lakhs); and

(b) "Chief Architect's Establishment" - saving of ₹120.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹705.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(B) "Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of Buildings" - saving of ₹469.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3365.45 lakhs) was due to receipt of less repairs and maintenance claims and less employment of daily wagers.

(VII) मुख्य शीर्ष "2202" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – प्राथमिक विद्यालय" – ₹1375.48 लाख की बचत (₹22578.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने, छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की संख्या कम होने तथा सामग्री की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अध्यापक प्रशिक्षण – राज्य शिक्षा संस्थान" – ₹106.32 लाख की बचत (₹437.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "माध्यमिक शिक्षा" –

(क) "अध्यापक प्रशिक्षण – व्यावसायिक पाठ्यक्रम" – ₹128.88 लाख की बचत (₹654.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "राजकीय माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹850.11 लाख की बचत (₹15807.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने, कम दावे प्राप्त होने तथा कम सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(गा) "विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – राजकीय कालेज और संस्थान – राजकीय व्यावसायिक कालेज" – ₹398.48 लाख की बचत (₹1803.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक कालेजों में दैनिक मजदूरों की कम

(VII) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Elementary Education" -

(a) "Direction and Administration - Primary School" - saving of ₹1375.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22578.50 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration, less beneficiaries for scholarships and less purchase of material.

(b) "Teachers Training - State Institute of Education" - saving of ₹106.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹437.85 lakhs); and

(B) "Secondary Education" -

(a) "Teachers Training - Vocational Courses" - saving of ₹128.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹654.70 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(b) "Government Secondary Schools - Secondary Schools" - saving of ₹850.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15807.00 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration, receipt of less claims and purchase of less material.

(C) "University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Government Professional Colleges" - saving of ₹398.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1803.75 lakhs)

तैनाती तथा कम सामग्री की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "2203" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "पॉलीटेक्निक – केंद्रीय पॉलीटेक्निक/चंडीगढ़ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज" – ₹221.87 लाख की बचत (₹1118.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज और संस्थान – पंजाब इंजीनियरिंग कालेज" – "200.00 लाख की बचत (₹4815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पहले ही जारी किए गए अनुदान से निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "2210" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र" – ₹149.25 लाख की बचत (₹1287.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – मानसिक स्वास्थ्य संस्थान" – ₹395.01 लाख की बचत (₹530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) "लोक स्वास्थ्य – निदेशन और प्रशासन – स्थापना" – ₹107.44 लाख की बचत (₹1127.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(X) मुख्य शीर्ष "2215" – "जलापूर्ति" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:–

was due to less employment of daily wagers in professional colleges and purchase of less material.

(VIII) Under Major Head "2203" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Polytechnics - Central Polytechnic/ Chandigarh College of Engineering and Technology" - saving of ₹221.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1118.20 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(B) "Engineering/Technical Colleges and Institutes - Punjab Engineering College" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4815.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds in respect of the Grant already released during the financial year 2017-18.

(IX) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Primary Health Centres" - saving of ₹149.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1287.50 lakhs) was due to receipt of less claims and non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Mental Health Institute" - saving of ₹395.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹530.00 lakhs);

(C) "Public Health - Direction and Administration - Establishment" - saving of ₹107.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1127.00 lakhs);

(X) Under Major Head "2215" - "Water Supply" - savings occurred under the following heads: -

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "अधिशासी स्थापना" – ₹132.97 लाख की बचत (₹1375.44 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹323.57 लाख की बचत (₹1771.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें चंडीगढ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हुईं।

(खा) "उचंत – स्टॉक" – ₹167.00 लाख की बचत (₹253.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय भंडारों के लिए कम सामग्री की खरीद के कारण हुई।

(XI) मुख्य शीर्ष "3456" – "नागरिक आपूर्ति स्कीम – उपभोक्ता संरक्षण संगठन" – ₹162.79 लाख की बचत (₹512.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा छठे पंजाब वेतन आयोग को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(XII) चौदह शीर्षों के अंतर्गत ₹967.96 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक व 90 प्रतिशत तक थीं।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹878.55 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – प्रचालन" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, – ₹878.43 लाख था।

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं:–

(A) "Direction and Administration" -

(a) "Executive Establishment" - saving of ₹132.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1375.44 lakhs); and

(b) "Work Charged Establishment" - saving of ₹323.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1771.07 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(B) "Suspense - Stock" - saving of ₹167.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹253.00 lakhs) was due to purchase of less material for central stores.

(XI) Under Major Head "3456" - "Civil Supplies Scheme - Consumer Protection Organisation" - saving of ₹162.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹512.00 lakhs) was due to non-implementation of 6th Punjab Pay Commission by Chandigarh Administration.

(XII) Under fourteen heads savings of ₹967.96 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

3. (I) The above savings were partly (₹878.55 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Operation". Actual excess, however, was ₹878.43 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “2014” – “उच्च न्यायलय – स्थापना” – ₹1324.30 लाख का अधिक व्यय (₹24327.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) Major Head “2014” - “High Courts - Establishment” - excess of ₹1324.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24327.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष “2058”” – “सरकारी मुद्रणालय – सरकारी मुद्रणालय, चंडीगढ़” – ₹264.01 लाख का अधिक व्यय (₹2056.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) Major Head “2058” - “Government Presses - Government Press, Chandigarh” - excess of ₹264.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2056.70 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय वेतन, बिजली तथा जल प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता तथा कार्यालय सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards salaries, electricity and water charges and increase in prices of office material.

(गा) मुख्य शीर्ष “2059” – “सामान्य – उचंत – स्टॉक” – ₹154.12 लाख का अधिक व्यय (₹829.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय भंडारों के लिए सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) Major Head “2059” - “General - Suspense - Stock” - excess of ₹154.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹829.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of material for Central Stores.

(घा) मुख्य शीर्ष “2070” – “अतिथि गृह, सरकारी हॉस्टल आदि – संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह” – ₹102.36 लाख का अधिक व्यय (₹862.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मजदूरी की दरों में वृद्धि होने तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अतिथि गृह के लिए सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(D) Major Head “2070” - “Guest Houses, Government Hostels etc. - Union Territory Guest House” - excess of ₹102.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹862.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in wages rates and purchase of material for UT Guest House.

(ङ) मुख्य शीर्ष “2202” – “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – राजकीय कालेज और संस्थान – कला तथा विज्ञान कालेज” – ₹194.33 लाख का अधिक व्यय (₹7667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मजदूरी की दरों में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(E) Major Head “2202” - “University and Higher Education - Government Colleges and Institutes - Arts and Science Colleges” - excess of ₹194.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7667.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in wage rates.

(चा) मुख्य शीर्ष “2210” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी – अस्पताल तथा औषधालय” –

(i) “जनरल अस्पताल, चंडीगढ़” – ₹1320.19 लाख का अधिक व्यय (₹6426.75 लाख के

(F) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries” -

(i) “General Hospital, Chandigarh” - excess of ₹1320.19 lakhs (against the

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, मजदूरी दरों में वृद्धि तथा अस्पताल सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "अन्य औषधालय" – ₹166.89 लाख का अधिक व्यय (₹2230.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मजदूरी दरों, बिजली तथा जल प्रभार की दरों में वृद्धि तथा औषधालयों के लिए अधिक सामग्री की खरीद के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – राजकीय चिकित्सा कालेज" – ₹286.04 लाख का अधिक व्यय (₹21957.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, मजदूरी दरों, बिजली तथा जल प्रभार की दरों में वृद्धि तथा कार्यालय सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "2215" –

(क) "जलापूर्ति" –

(i) "शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम – अन्य स्कीम" – ₹192.33 लाख का अधिक व्यय (₹469.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "ग्रामीण जालपूर्ति कार्यक्रम – अन्य स्कीम" – ₹350.01 लाख का अधिक व्यय (₹1129.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "मल निकासी तथा स्वच्छता – स्वच्छता सेवाएं – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" – ₹184.99 लाख का अधिक व्यय (₹491.00 लाख के

sanctioned provision of ₹6426.75 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, increase in wage rates and purchase of hospital material.

(ii) "Other Dispensaries" - excess of ₹166.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2230.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in wage rates, electricity and water charges and purchase of more material for dispensaries.

(b) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Government Medical College" - excess of ₹286.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21957.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, increase in wage rates, electricity and water charges and increase in price of office material.

(G) Major Head "2215"-

(a) "Water Supply" -

(i) "Urban Water Supply Programmes - Other Schemes" - excess of ₹192.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹469.50 lakhs);

(ii) "Rural Water Supply Programmes - Other Schemes" - excess of ₹350.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1129.99 lakhs); and

(b) "Sewerage and Sanitation - Sanitation Services - Expenditure in Union Territories without Legislature" - excess of ₹184.99

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मरम्मत तथा अनुरक्षण सामग्रियों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता तथा मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण हुआ।

(जा) मुख्य शीर्ष "2235" –

(क) "सामाजिक कल्याण" –

(i) "दिव्यांग का कल्याण – निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन" – ₹160.00 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "वृद्ध, अशक्त तथा निराश्रितों का कल्याण – वृद्ध तथा निराश्रितों के लिए घर" – ₹128.14 लाख का अधिक व्यय (₹1313.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृद्धों हेतु घर के सदस्यों को पेंशन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – पीड़ित क्षतिपूर्ति नीति" – ₹107.10 लाख का अधिक व्यय (₹45.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि के कारण हुआ।

(झा) मुख्य शीर्ष "3055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – मरम्मत तथा अनुरक्षण" – ₹249.67 लाख का अधिक व्यय (₹3241.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बसों के हिस्से–पूर्जों की खरीद और वार्षिक मरम्मत प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹491.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards repair and maintenance materials and increase in wage rates.

(H) Major Head "2235" -

(a) "Social Welfare" -

(i) "Welfare of handicapped - Pension to Disabled Persons" - excess of ₹160.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pension to disabled persons.

(ii) "Welfare of Aged, Infirm and Destitute - Home for Old and Destitutes" - excess of ₹128.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1313.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards pension to inmates of home for old aged.

(b) "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Victim Compensation Policy" - excess of ₹107.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹45.00 lakhs) was due to increase in number of awards.

(I) Major Head "3055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Repairs and Maintenance" - excess of ₹249.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3241.60 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of spare parts of buses and annual maintenance charges.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹145.50 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक और 21 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹145.50 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting more than 10 percent and 21 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचतें (₹11.26 लाख) दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹11.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of capital section of the grant, the overall savings (₹11.26 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹11.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and constituted nearly 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1657.00			
पू.	S.	1.00	1364.81	1364.79	-0.02
पु.	R.	-293.19			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	900.00			
पू.	S.	2.00	1094.94	1094.93	-0.01
पु.	R.	192.94			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	7024.00			
पू.	S.	1.00	8665.48	8665.41	-0.07
पु.	R.	1640.48			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	5235.00			
पू.	S.	2.00	5790.92	5790.88	-0.04
पु.	R.	553.92			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3260.00			
पू.	S.	1.00	2321.45	2321.44	-0.01
पु.	R.	-939.55			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	8330.00			
			8475.60	8475.55	-0.05
पु.	R.	145.60			
मुख्य शीर्ष "4235"	Major Head "4235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	711.00			
पू.	S.	1.00	524.19	524.17	-0.02
पु.	R.	-187.81			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	2300.00	1330.19	1330.18	-0.01
पु.	R.	-969.81			
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	2453.00			
पू.	S.	1.00	2173.24	2173.23	-0.01
पु.	R.	-280.76			
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"				
पर्यटन पर पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	100.00	295.00	295.00	..
पु.	R.	195.00			

(I) ₹14.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹14.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राज्य पुलिस – अन्य अनुषंगी कार्य" – ₹173.95 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1358.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपस्करों और पुलिस वाहनों की कम खरीद के कारण हुई।

(A) "State Police - Other Allied Works" - saving of ₹173.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1358.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to purchase of less machinery and equipment and police vehicles.

(खा) "पुलिस आवास – भवन" – ₹119.26 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस आवासों के लिए अनुमोदन देरी से प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Police Housing - Building" - saving of ₹119.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to late approval for construction of houses for police.

(III) मुख्य शीर्ष "4202" – "तकनीकी शिक्षा – पॉलीटेक्निक – इंजीनियरिंग डिग्री विंग" – के अंतर्गत ₹251.20 लाख की बचत (₹368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीसीईटी डिग्री कालेज में शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण की स्कीम को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4202" - "Technical Education - Polytechnics - Engineering Degree Wing" - saving of ₹251.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹368.00 lakhs) was due to late finalization of scheme for construction of academic block in CCET Degree College.

(IV) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा (प्रशिक्षण तथा अनुसंधान) – एलोपैथी – राजकीय चिकित्सा कालेज / 500 बिस्तरों का द्वितीय जनरल अस्पताल सेक्टर–32, चंडीगढ़" के अंतर्गत ₹318.31 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2613.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजकीय अस्पताल के लिए वाहनों तथा मशीनरी की कम खरीद के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4210" - "Medical Education (Training and Research) - Allopathy - Government Medical College/500 Bedded Second General Hospital Sector-32, Chandigarh" - saving of ₹318.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2613.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to less purchase of vehicles and machinery for Government Hospital.

(V) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी रिहायशी भवन – जनरल पूल आवास – सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास" के अंतर्गत ₹953.56 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेक्टर–10 में सरकारी घरों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - General Pool Accommodation - Accommodation for Government Employees" - saving of ₹953.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of Government houses in Sector-10.

(VI) मुख्य शीर्ष "4235" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(VI) Under Major Head "4235" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सामाजिक कल्याण – महिला कल्याण – भवन" – ₹117.50 लाख की बचत (₹142.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चण्डीगढ़ में 08 शिशुगृहों के निर्माण के लिए संशोधित योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Social Welfare - Women's Welfare - Building" - saving of ₹117.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹142.00 lakhs) was due to non-finalisation of revised planning for construction of 08 creches in Chandigarh.

(खा) "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य व्यय – भवन" – ₹194.33 लाख की बचत (₹389.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राजकीय बौद्धिक निःशक्तता पुनर्वास संस्थान सैक्टर 31 में ब्लॉक के निर्माण तथा

(B) "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Expenditure - Buildings" - saving of ₹194.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹389.00 lakhs) was due to late

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आश्रय की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के कारण निविदाओं को देरी से अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "4801" – "ट्रांसमिशन तथा वितरण – चंडीगढ़ में बिजली का ट्रांसमिशन और वितरण – बिजली का वितरण" – के अंतर्गत ₹969.82 लाख की बचत (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "5055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – बस अड्डों का विस्तार तथा विकास" – के अंतर्गत ₹511.38 लाख की बचत (₹728.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रायपुर कलां में बस के डिपो के निर्माण को प्रशासनिक अनुमोदन की वजह से अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹141.19 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 75 प्रतिशत थीं।

5. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3020.05 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन" – ₹187.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹186.99 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "4202" –

(क) "सामान्य शिक्षा" –

(i) "माध्यमिक शिक्षा – भवन" – ₹511.69 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹511.68 लाख था।

finalization of tenders for construction of Block in Government Rehabilitation Institute for Intellectual Disabilities Sector 31 and setting up of senior citizen home owing to administrative approval.

(VII) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution of Power in Chandigarh - Distribution of Power" - saving of ₹969.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs) was due to non-finalization of tenders for strengthening of power supply.

(VIII) Under Major Head "5055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Bus Stands" - saving of ₹511.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹728.00 lakhs) was due to late finalization for construction of bus depot at Raipur Kalan owing to administrative approval.

(IX) Under two heads saving of ₹141.19 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 13 percent and 75 percent of the sanctioned provision.

5. (I) The above savings were partly (₹3020.05 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Administation of Justice" - ₹187.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹186.99 lakhs.

(B) Major Head "4202" -

(a) "General Education" -

(i) "Secondary Education - Building" - ₹511.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹511.68 lakhs.

(ii) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – भवन" – ₹841.67 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹841.66 लाख था।

(ख) "खेलकूद तथा युवा सेवाएं – खेल स्टेडियम – भवन" – ₹407.75 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹407.74 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा (प्रशिक्षण तथा अनुसंधान) – एलोपैथी – एन्य मदें" – ₹862.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹862.82 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "4235" – "सामाजिक कल्याण – शिशु कल्याण – भवन" – ₹124.00 लाख।

(ङ) मुख्य शीर्ष "5055" – "चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम – कार्यशाला का विस्तार तथा विकास" – ₹85.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹85.09 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "4217" – "राज्य पूंजीगत विकास – निर्माण – अन्य स्कीमें" – ₹248.91 लाख का अधिक व्यय (₹7605.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न सड़कों को मजबूत बनाने तथा उनका अपग्रेडेशन करने और धरोहर भवनों के संरक्षण और सेक्टर–17 का पुनरूद्भवन किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "5055" – "बेड़ों का अधिग्रहण – चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम" – ₹151.14 लाख का अधिक व्यय (₹1529.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिवहन विभाग द्वारा बसों की खरीद के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "5452" – "सामान्य – अन्य व्यय – संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह का विस्तार" – ₹195.00 लाख का अधिक व्यय (₹100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र अतिथि गृह तथा पंचायत भवन के अपग्रेडेशन

(ii) "University and Higher Education - Buildings" - ₹841.67 lakhs. Actual excess, however, was ₹841.66 lakhs.

(b) "Sports and Youth Services - Sports Stadia - Building" - ₹407.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹407.74 lakhs.

(C) Major Head "4210" - "Medical Education (Training and Research) - Allopathy - Other Items" - ₹862.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹862.82 lakhs.

(D) Major Head "4235" - "Social Welfare - Child Welfare - Building" - ₹124.00 lakhs.

(E) Major Head "5055" - "Chandigarh Transport Undertaking - Expansion and Development of Workshop" - ₹85.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹85.09 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "4217" - "State Capital Development - Construction - Other Schemes" - excess of ₹248.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7605.00 lakhs) was due to strengthening and upgradation of various roads and preservation of heritage buildings and revitalization of sector 17.

(B) Major Head "5055" - "Acquisition of Fleet - Chandigarh Transport Undertaking" - excess of ₹151.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1529.00 lakhs) was due to purchase of buses by Transport Department.

(C) Major Head "5452" - "General - Other Expenditure - Expansion of Union Territory Guest House" - excess of ₹195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100.00 lakhs) was due to

के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹156.03 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु, ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 86 प्रतिशत और 88 प्रतिशत था।

upgradation of UT Guest House and Panchayat Bhawan.

(III) Under two heads excess of ₹156.03 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 86 percent and 88 percent of the sanctioned provision.